30

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

पटना—15, दिनांक— 27 मार्च, 2006

संख्या—8/सू०अ०—15—01/2006 का०—**2819**/सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा—6 एवं 7 के तहत वांछित सूचना एवं कागजात उपलब्ध कराने हेतु निम्न प्रकार से शुल्क निर्धारित किया जाता है :—

1. धारा 6(1) तहत सूचना देने हेतु आवेदन शुल्क	10/— (दस) रूपये प्रति आवेदन
2. धारा—7 (1) के तहत: (क) सूचना उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक शुल्क (ए—4 एवं ए—3) साईज़ कागज पर	2/— (दो) रूपये प्रति पृष्ठ
(ख) बड़ा साईज़ कागज़ पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु	बड़े आकार के कागज़ पर फोटो कॉपी करने में होने वाला वास्तविक व्यय
(ग) नमूना (Sample or Model)	वास्तविक व्यय की राशि ।
(घ) फ्लॉपी एवं सी०डी० में सूचना उपलब्ध कराने हेतु	50/— (पचास) रूपये प्रति फ्लॉपी अथवा सी०डी० होगा ।
3. अभिलेखों के निरीक्षण हेतु (धारा 7 (5) के तहत)	पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं होगा । उसके बाद प्रति घंटे और उसके अंश के लिए 5/— (पाँच) रूपये की दर से शुल्क देय होगा । नोट :— जहाँ पर पूर्व से अभिलेख निरीक्षण की व्यवस्था है, ऐसे मामले में पूर्व से निर्धारित दर लागू रहेगी ।
4. अपीलीय प्राधिकार के सहत पर अपील दायर करने हेतु आवेदन	50/— (पचास) रूपये प्रति अपील ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक:—8/सू०अ०—15—01/2006 का०—**2819**/पटना—15, दिनांक— 27 मार्च, 2006

प्रतिलिपि — सभी आयुक्त एवं सचिव/पुलिस महानिदेशक/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।